न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—250/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00263)

01. हनुमान पुत्र रामदेव,
02. गोपाल पुत्र रामदेव,
03. मुकेश,
04. राजेश,
05. सन्तोष कुमार,
06. सीताराम पि. सूरजमल,
07. शिम्भूदयाल,
08. ज्ञानाराम,
09. सुरेशकुमार पि. सोना राम,
10. फूलचन्द दत्तक पुत्र प्रभाती लाल,
11. सेडू पुत्र रामदेव, समस्त जातियान अहीर निवासीयान मोहनपुरा तन डूँगरीकलां हाल तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
12. श्रीधर,
13. बाबूलाल,
14. राजेन्द्र कुमार पि. भगवान सहाय,
15. ग्यारसी देवी पत्नी सूजाराम समस्त जातियान जाट निवासी डूंगरी खूर्द तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी [illegible]ाराम,
2. मनभरी देवी पत्नी रूघनाथ, जातियान खटीक निवासी डूगरी खूर्द तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

——कन्टेस्टेड रेस्पोडेन्ट

3. माधुरी कुमार पत्नी कुशाल सिह,
4. नीतू पुत्री कुशाल सिंह,
5. बाबली पुत्री कुशाल सिंह, समस्त जातियान राजपूत निवासी डूँगरी हाउस, प्रताप नगर, खातीपुरा रोड़ जयपुर।
6. गुलाब देवी पत्नी जगदीश प्रसाद,
7. कोयली देवी पत्नी नानगराम समस्त जातियान जाट निवासी डूँगरी कलां तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर

——प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 30.07.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 13.06.2018 (प्रकरण संख्या 135/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 मे आराजी खसरा नम्बर 541/163 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 544/163 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम डूगरी खूर्द की पत्थरगढी बाबत दिनांक 19.04.2017 को विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 के प्रस्तुत किया गया, आगामी तारीख पेशी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई व दिनांक 13.06.18 को न्याय आपके द्वार में अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 ने सहमति दी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, जो आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिस भूमि की पत्थरगढी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उस भूमि के उत्तरी पूर्वी पश्चिम की ओर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है जिन्हे जान बुझकर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया जबकि कानूनन भूमि जिसकी पत्थरगढी की जानी है के चारों सीमाओं के खातेदारों को पक्षकार बनाया जाता है परन्तु केवल एक दिशा के खातेदारों को ही पक्षकार बना लिया गया, इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश में जिस भूमि की पत्थगरढी बाबत आदेश दिये गये है उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण का कब्जा नही है उक्त आराजीयात एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2014 द्वारा सहायक कलक्टर सांभरलेक द्वारा पारित की गई थी, उक्त डिक्री पारित करने से पूर्व जो कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय में आये उन कुरेजात रिपोर्ट पर भी कब्जा नही होना उल्लेख किया गया है, इस प्रकार बिना कब्जा काश्त के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिया गया है वह गलत होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वेच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है तथा जो व्यक्ति गलत व मिथ्या तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश करता है उसे न्याय नही दिया जा सकता है इस कारण भी अपीलाधीन निणर्य काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 135/17 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.18 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 541/163 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 544/163 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके डूगरी खूर्द तहसील किशनगढ रेनवाल मे स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त व

भारतीय आयुक्त जयपुर

खातेदारी की आराजीयात है तथा आराजीयात खसरा नम्बर 163/2 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 540/163 रकबा 2 बीघा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके डूगरी खूर्द तहसील किशनगढ रेनवाल में स्थित है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 के नाम अंकित है एवं खसरा नम्बर 542/163 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 543/163 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीधा वाके डूगरी खुर्द तहसील किशनगढ रेनवाल जो रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की संयुक्त खातेदारी की है। उन्होने आगे कथन किया है कि इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 उक्त आराजी के पड़ौसी काश्तकार एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी अनाधिकृत रूप से दबाना चाहते है तथा सीमा को लेकर विवाद करते है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 27.06.2016 को तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के आदेश क्रमांक भू.अ0./16/2411 दिनांक 13.06.2016 की पालना में दिनांक 27.06.2016 को पटवारी हल्का के जरिये उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान कराकर पत्थर लगाकर निशान कायम करने लगे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 विवाद करने लगे एवं सम्पूर्ण रकबे की सीमा पर निशानात लगाने में व्यवधान पैदा किया ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को कानूनी रूप से प्राप्त अधिकारों के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी पेश किया ताकि सम्पूर्ण विवाद समाप्त हो जाये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के सलंग्न न्यायालय सहायक जिला कलक्टर सांभरलेक के निर्णय दिनांक 17.07.2012 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जिन्हे भी प्रकरण में सुनवाई का अवसर अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा दिया जाना आवश्यक था किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 13.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।